न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट

जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्री गोविंद सिंह आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 14/2024
किस्म :– **प्रार्थना–पत्र**
दायर दिनांक : **20**.03.2024 **निर्णय दिनांक** : 06.05.2025

अनवान

1. केशी पुत्री देवा पत्नी नगजीराम जाति गाडरी निवासी भोलीखेडा तहसील आमेट जिला राजसमंद

..............**प्रार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आमेट जिला राजसमन्द (राज.)
2. धर्मचन्द पिता गुलाबचन्द जाति महाजन निवासी आमेट जिला राजसमन्द
   2/1. ललित कुमार पिता घासीराम जाति ब्राहमण निवासी आमेट जिला राजसमन्द

...............**विपक्षीगण**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

प्रार्थी की ओर से :– **अधिवक्ता धर्मेश शर्मा**
विपक्षी संख्या 01 की ओर से :– **सरकार**
विपक्षी संख्या 2/1 की ओर से :– **अधिवक्ता प्रफुल्ल शर्मा**

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम भोलीखेडा पटवार हल्का लिकी तहसील आमेट जिला राजसमंद के खाता संख्या नया 140 पुराना 108 के आराजी नम्बर 641, 642 कुल किता 02 रकबा 0.0400 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र से कय की थी। आराजी नम्बर 641, 642 के साबिक आराजी नम्बर 416 थे जो खसरा मिलान से साबित है। उक्त आराजीयात प्रार्थीया ने जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र से श्री धर्मचन्द पिता गुलाबचन्द जी महाजन निवासी आमेट तहसील आमेट से खरीद की थी, उक्त रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर नामान्तकरण संख्या 152 से नामान्तकरण प्रार्थीया के नाम पर दर्ज किया गया तथा उक्त नामान्तकरण के आधार पर राजस्व जमाबन्दी वर्ष 2028 से 2031 मे उक्त भूमि प्रार्थीया के नाम पर खातेदारी मे दर्ज कर दी गई। उसी दौरान सेटेलमेन्ट हो गया एवं नवीन जमाबन्दी मे उक्त वर्णित कृषि भूमियां पुनः धर्मचन्द पिता गुलाबचंद महाजन के नाम पर दर्ज कर दी गई, जो एक लिपीकीय त्रुटी है, क्योंकि उक्त भूमि प्रार्थीया के नाम पर जमाबन्दी मे दर्ज हो गई थी एवं

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

सेटलमेन्ट अधिकारी द्वारा भूलवश पुनः उक्त भूमि धर्मचन्द के नाम पर जमाबन्दी मे दर्ज कर दी गई जिसकी शुद्धि किया जाना आवश्यक है ताकि प्रार्थीया अपनी कृषि भूमि का सही ढंग से विकास करवा कर उपयोग उपभोग कर सके। उक्त वर्णित राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थीया के नाम पर दर्ज नही कर धर्मचन्द महाजन के नाम पर दर्ज कर दी गई उक्त गलत अंकन कर देने से प्रार्थीया को परेशानी का सामना करना पड रहा है, प्रार्थीया ने उक्त भामि अपने नाम पर राजस्व जमाबन्दी मे दर्ज करने हेतु कई मर्तबा विपक्षी तहसीलदार साहब के यहां निवेदन किया, किन्तु इन्द्राज दुरस्ती नही की गई। जिससे मजबुर होकर प्रार्थीया को आप श्रीमान् के समक्ष यह प्रार्थना पत्र करना पड रहा है। प्रार्थी द्वारा आज से दो माह पूर्व विपक्षी को उक्त राजस्व रेकार्ड मे गलत इन्द्राज सुधार करने का निवेदन किया, किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नही होने से वाद हेतुक उत्पन्न होकर जारी है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि ग्राम भोलीखेडा पटवार हल्का लीकी तहसील आमेट जिला राजसमंद में स्थित उक्त वर्णित भूमि को धर्मचन्द पिता गुलाबचन्द महाजन के नाम की जगह श्रीमती केशी पुत्री देवा पत्नी नगजीराम अंकित किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे नाम दुरस्त किये जाने का आदेश विपक्षी को प्रदान किया जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार आमेट द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त वर्णित भूमि मे वादिया खातेदार नही है। मिसल बन्दोबस्त मे विवादित भूमि मे धर्मचन्द पिता गुलाबचन्द का नाम दर्ज है। दिनांक 06.08.2024 को विपक्षी धर्मचन्द पिता गुलाबचन्द को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। दिनांक 27.08.2024 को ललित कुमार पिता घासीराम ब्राहमण निवासी आमेट की तरफ से अधिवक्ता प्रफुल्ल शर्मा ने वकालत नामा, जवाब एवं दस्तावेज पेश कर निवेदन किया कि उक्त वर्णित भूमि राजस्व रेकार्ड मे धर्मचन्द पिता गुलाब महाजन के नाम पर दर्ज है। उक्त कृषि भूमियां धर्मचन्द जी ने अपने जीवन काल मे केशी पुत्री देवा गाडरी निवासी भोलीखेडा को विक्रय की थी। विवादित भूमि को प्रार्थीया अपने नाम पर दर्ज कराती है तो मुझे कोई एतराज नही है। जवाब एवं दस्तावेज की नकल प्रार्थी अधिवक्ता को दिलायी गयी। ललित कुमार पिता घासीराम ब्राहमण की तरफ से अधिवक्ता प्रमोद लक्ष्कार ने वकालत नामा पेश किया जिसे शामिल फाईल किया गया। दिनांक 29.08.2024 को बद्रीलाल पिता उदयराम गाडरी निवासी भोलीखेडा की तरफ से अधिवक्ता प्रमोद लक्ष्कार ने पक्षकार बनने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी उसका खातेदार कृषक हैं और उक्त भूमि पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहा हैं। प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज है तथा धर्मचन्द जी के समय से ही उक्त भूमि प्रार्थी के हक अधिकार में सिपूर्द कर दी गई थी। उक्त भूमि पर केशी प्रार्थी का कभी कोई कब्जा नही रहा हैं और वह जबरन ताकत के बल पर उक्त भूमि पर नामान्तरकरण खुलवा जबरन भूमि में प्रवेश करना चाहता हैं। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी को पक्षकार नही बनाया गया हैं और प्रार्थी एक आवश्यक पक्षकार हैं। क्योकि उक्त सम्पति में उसका हित है तथा बिना प्रार्थी को सुने उक्त

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

भूमि का उक्त प्रार्थना पत्र 136 के अन्तर्गत निस्तारित नही किया जा सकता । धर्मचन्द जी के समय से ही पक्षकारान के मध्य समझौता हो चुका हैं और उक्त भूमि में अन्य किसी का कोई हक नहीं हैं परन्तु कानून को गुमराह कर प्रार्थी 136 के अन्तर्गत बिना किसी को पक्षकार बनाये उक्त प्रकरण में निस्तारण करना चाहता है जबकि खातेदार आवश्यक पक्षकार है और प्रार्थी खातेदारी हैं। इन परिस्थितियों में यह आवश्यक हो गया हैं कि उक्त भूमि के वाद के निस्तारण के लिये प्रार्थी बद्रीलाल को आवश्यक पक्षकार के रूप में सयोजित किया जावें तथा प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया। अतः श्रीमान् से अनुरोध हैं कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को उक्त प्रकरण में पक्षकार बनाने की अनुमति प्रदान कराने की कृपा करावें। दिनांक 22.04.2025 को अधिवक्ता प्रमोद लक्ष्कार द्वारा प्रस्तुत पक्षकार बनने बाबत् प्रार्थना–पत्र सारहीन होने से खारिज किया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर यह ताईद हैं कि दिनांक 29.10.2005 को धर्मचन्द पिता गुलाबचंद महाजन ने अपने जीवनकाल मे ललित कुमार पिता घासीराम ब्राहमण निवासी आमेट के पक्ष मे वसीयत की तथा ललित कुमार पिता घासीराम ब्राहमण ने उक्त वर्णित भूमियां प्रार्थीया के नाम पर की जाती है तो उन्है कोई आपत्ति नही है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण संख्या 152 से प्रार्थीया के नाम पर दर्ज किया गया तथा उक्त नामान्तकरण के आधार पर राजस्व जमाबन्दी वर्ष 2028 से 2031 मे उक्त भूमि प्रार्थीया के नाम पर खातेदारी मे दर्ज थी किन्तु वक्त सेंटलमेंट नवीन जमाबन्दी मे उक्त वर्णित कृषि भूमियां पुनः धर्मचन्द पिता गुलाबचंद महाजन के नाम पर दर्ज कर दी गई, जबकि उक्त वर्णित भूमियां प्रार्थीया के नाम पर दर्ज होनी चाहिये थी किन्तु लिपिकिय त्रुटि के कारण धर्मचन्द पिता गुलाबचंद महाजन अंकन कर दिया गया जो की पूर्णतयाः त्रुटिपुर्ण हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य साबित हैं।

:: आदेश ::

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार किया जाता हैं एवं राजस्व ग्राम भोलीखेडा पटवार हल्का लिकी तहसील आमेट जिला राजसमंद के खाता संख्या नया 140 पुराना 108 के आराजी नम्बर 641, 642 कुल किता 02 रकबा 0.0400 हैक्टेयर भूमि में धर्मचन्द पिता गुलाबचंद महाजन को विलोपित करते हुए के स्थान पर श्रीमती केशी पुत्री देवा पत्नी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

नगजीराम राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तुर रहे। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

नोटः– तहसील आमेट/सरदारगढ मे सर्वे–रिसर्वे के दौरान यदि आराजी नम्बर बदल गये हो तो नवीन आराजी नम्बर का नक्शा ट्रेस एवं मिलान खसरा से मिलान करते हुये निर्णय की पालना की जावें। नवीन आराजी नम्बर मे यदि रकबा कम ज्यादा हुआ हो तो निर्णय मुताबिक पालना की जावें। नवीन राजस्व अभिलेख की प्रतियां पालना रिपोर्ट के साथ पुनः इस न्यायालय मे प्रस्तुत करावें।

(गोविंद सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेट

निर्णय आज दिनांक 06.05.2025 खुले न्यायालय पर आदेश सुनाया गया।

(गोविंद सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेट